

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना अंतर्गत स्टेट क्वालिटी मॉनिटर/जिला क्वालिटी मॉनिटर के तकनीकी पदों पर नियोजन हेतु विज्ञापन:-

राज्य सरकार के सात निश्चय योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना एवं विभाग द्वारा क्रियान्वित एवं संचालित अन्य योजनाओं के सुचारू एवं सफल प्रबंधन हेतु स्टेट क्वालिटी मॉनिटर एवं जिला क्वालिटी मॉनिटर के पद पर नियोजन की कार्यवाई की गयी है। नियोजन के उपरांत राज्य क्वालिटी मॉनिटर के रिक्त पदों पर नियोजन हेतु कोटिवार पदों की संख्या, योग्यता एवं अनुभव तथा मानदेय एवं अन्य शर्त निम्नवत है:-

Sl. No.	Type of post	Role/Qualification & Experience	No. of post Vacant			Fixed Pay (per Month)
1	SQM	Retired SE and above from CE	Total-06			Last pay drawn-pension. The actual cost of contract will be calculated after employment
			Cat	Male	Female	
			UR	1 -	0	
			EBC	1 -	1	
			SC	0 -	1	
			BC	1 -	0	
			ST	0 -	0	
			WBC	0 -	0	
			EWS	1 -	0	
			Total	4	2	

02. जिला क्वालिटी मॉनीटर क पदों पर नियोजन की गयी है। नियोजन के उपरांत जिला क्वालिटी मॉनिटर के रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियोजन हेतु कोटिवार पदों की संख्या, योग्यता एवं शर्तें निम्नांकित हैं:-

Sl. No.	Type of post	Role/Qualification & Experience	No. of post Vacant			Fixed Pay (per Month)
1	District Quality Monitor	(a) One for 4 Blocks/ Retired Executive engineer and above	Total-95			Last pay drawn-pension. The actual cost of contract will be calculated after employment
			Cat	Male	Female	
			UR	17 -	19	
			EBC	06 -	09	
			SC	05 -	08	
			BC	07 -	05	
			ST	02 -	00	
			WBC	00 -	04	
			EWS	09 -	04	
			Total	46	49	

03. संविदा पर नियोजन हेतु पात्रता:-

(A) आवेदक भारत का नागरिक हो।

(B) सेवा निवृत्त पदाधिकारियों के संविदा आधारित नियोजन के लिए उम्र सीमा सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-03/एम०63/2013 सा०प्र०-10000, दिनांक-10.07.2015 के उपबंधों से आच्छादित होगी।

04. आवेदन की प्रक्रिया:-

(a)सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया का प्रबंधन पंचायती राज विभाग द्वारा किया जायेगा।

(b)यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए अर्हता रखते हों तो एक से अधिक पदों पर अलग-अलग आवेदन कर सकते हैं।

05. पंचायती राज विभाग के उपलब्ध लिंक वेबसाइट—state.bihar.gov.in/biharprd पर दिनांक-21.12.2022 के अपराह्न 05:00 बजे तक ऑनलाईन आवेदन की जा सकेगी। स्टेट क्वालिटी मॉनिटर तथा जिला क्वालिटी मॉनिटर के संबंधित पदों की संख्या/आरक्षण कोटिवार रिक्ति का विवरण पंचायती राज विभाग के इस वेबसाइट—state.bihar.gov.in/biharprd पर प्रदर्शित है। जिला क्वालिटी मॉनिटर के पदों पर सामान्य प्रशासन विभाग के नियमों के अनुसार दिव्यांगों एवं स्वतंत्रता सेनानी के नाती-नतीनी/पोता-पोती को क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य है।

06. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-963, दिनांक-20.01.2016 में अंकित प्रावधान के आलोक में योग्य महिला अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में उसी भर्ती वर्ष में संगत कोटि (आरक्षित/गैर आरक्षित) के पुरुष उम्मीदवारों से पदों को भरा जा सकेगा।

07. विभागीय संकल्प सं०-4864, दिनांक-05.09.2018 द्वारा SQM/DQM के स्वीकृत पदों में से आवश्यकतानुसार कम संख्या में नियोजन का निर्णय लिया जा सकता है।

08. online आवेदन समर्पित करने के उपरान्त इसमें त्रुटि सुधार, भूल सुधार और किसी अन्य संशोधन हेतु कोई दावा/आपत्ति मान्य नहीं होगा और न ही इसका अवसर दिया जायेगा। online आवेदन में दी गई सूचना के आधार पर नियोजन की कार्रवाई की जायेगी।

09. चयन प्रक्रिया—चयन Group Discussion तथा Personal Interview के प्राप्तांक के आधार पर किया जायेगा।


10. चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति बिहार के किसी भी जिले में की जा सकेगी।

11. जिला क्वालिटी मॉनिटर के पद पर चयनित उम्मीदवारों को जिलावार आवंटित कोटि के अनुसार संबंधित जिलों में पदस्थापित किया जायेगा।

12. कार्य अनुभव के प्रमाण स्वरूप P.P.O को आधार माना जायेगा।

सेवानिवृत्त कर्मियों को सेवानिवृत्ति के समय देय वेतन+मंहगाई भत्ता का योगफल में से पेंशन+मंहगाई भत्ता घटाकर शेष राशि को मानदेय के रूप में भुगतान किया जायेगा।

13. संविदा के आधार पर नियोजन की अवधि नियोजन की तिथि से दो वर्ष के लिए होगी, जिसे आवश्यकतानुसार विस्तारित किया जा सकेगा। नियोजन अवधि विस्तार नहीं किये जाने की स्थिति में नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की समाप्ति पर यह नियोजन स्वतः समाप्त हो जायेगा और इसके लिये अलग से कोई सूचना/आदेश निर्गत नहीं किया जायेगा।
14. संविदा एकरारनामा—यह चयन विभागीय संकल्प सख्या-4864, दिनांक-05.09.2018 के आलोक में किया जा सकेगा जिसकी प्रति विभागीय वेबसाईट—state.bihar.gov.in/biharprd पर उपलब्ध है।


(डॉ०रणजीत कुमार सिंह)
निदेशक